धारा-51. अंशपूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण.-(1) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य भागिता-निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायेगा।

(2) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य-भागिता-निधि के क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन प्रथमतः उक्त निधि में जमा किया जायेगा और तत्पश्चात् उस शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायेगा, जो उसे प्रमुख राज्य भागिता-निधि में जमा कर देगी।

(3) उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशों का भुगतान इस बात के होते हुये भी कि अंश यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को दिया जायेगाः

(4) उपधारा (3) में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार अपने द्वारा धारा 44 के अधीन शीर्ष समिति को दिये गये धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।